न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–120A/2017

वाद प्रस्तुति दिनांक :–28.07.2017

निर्णय दिनांकः– 03.06.2019

उनवान

1. हरलाल पुत्र केसरा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–सोहेला, तह0 पीपलू, जिला–टोंक
2. ताराचन्द पुत्र केसरा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–सोहेला, तह0 पीपलू, ज़िला–टोंक

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामदेवा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–सोहेला, तह0 पीपलू, जिला–टोंक
2. कन्या पुत्री रामदेवा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–सोहेला, तह0 पीपलू, जिला–टोंक
3. गुलाब बेवा रामदेवा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–सोहेला, तह0 पीपलू, जिला–टोंक
4. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती व तकास्मा

अधिवक्ता वादीगणः– श्री विवेक चौधरी निर्णय दिनांकः–03.06.2019

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री चतुर्भुज गुर्जर/कमलेश गुर्जर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 08.05.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 24.05.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने वादीगण की तथा अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर ने प्रतिवादीगण की पहचान की एवं तकास्मा रिपोर्ट के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा न0 322/1 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, 2230/1 रकबा 08 बिस्वा, 2231 रकबा 03 बिस्वा, 2232 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा प्रतिवादीगण के हक में तथा खसरा न0 322/2 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा खसरा न0 2230/2 रकबा 03 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम सोहेला वादीगण के हक में तकास्मा रिपोर्ट अनुसार रहेगा। तहसीलदार तकास्मा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू